



चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति अभियान-5” के तहत आज दिनांक 23.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद चित्रकूट के समस्त थानों की एंटीरोमियो टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के अलावा जागरूकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बुलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 23.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 रविन्द्र कटियार व उनकी टीम द्वारा नाबालिक को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम निवासी द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को सोनू पुत्र अभयराज निवासी बराछी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट बहला फुसलाकर ले गया। इस सम्बन्ध में थाना राजापुर में मु0अ0सं0 151/25 धारा 137(2) एक्ट बीएनएस पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 23.06.2025 को अभियुक्त सोनू उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। पीडिया के बयान अन्तर्गत 183 बीएनएसएस व मेडिकल परीक्षण के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी गयी गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र कटियार
2. आरक्षी शाकिर अली

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 23.06.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत एनसीआर 01/2014 धारा 504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त कालसेन पुत्र भोला निवासी अगरहुडा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 1500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक

23.06.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत एनसीआर 105/2010 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रमेश यादव पुत्र मंगलिया निवासी एसडीएम कॉलोनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 3500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री कैलाश नाथ यादव थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी विनीत कुमार द्वारा मु0अ0सं0 425/23 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त मोहित उर्फ कर्मवीर पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी लौना बाबा रोड टावर के पास शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।